फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री उदयलाल | **विपक्षी : श्री भंवरसिंह**

किस्म मुकदमा – 251''क'' रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 20/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 03.06.2023

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प फलीचडा में पेश हुई। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 3, 9 से 12 द्वारा प्रार्थी के आने जाने हेतु अन्य आराजीयात होना बताकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 4 से 8, 13, 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी सं. 15/1 से 15/6 बावजूद सूचना अब तक अनुपस्थित रहे हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थी की आराजी नम्बर 361/231, 364/361, 231 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 370/176, 377/176, 176, 373/176 में से होकर 20 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थी के खेत तक जाता हैं। उक्त रास्ता विपक्षीगण की आराजी नम्बर 370/176, 377/176, 176, 373/176 में से 0.0600 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 177 बिलानाम में से 0.0360 हेक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रयुक्त होती है, जिस पर अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा आपत्ति कर निवेदन किया कि प्रार्थी के आने जाने हेतु आराजी नम्बर 209, 213, 184 में से रास्ता बना हुआ है, जिस पर तहसीलदार मावली से पुनः रिपोर्ट ली गई, जिसमें तहसीलदार मावली द्वारा विपक्षीगण के अनुसार आराजी नम्बर 226, 225, 209, 213, 202 में से 20 फीट का रास्ता जो प्रार्थी के खातेदारी आराजीयात से मिलता है जिसकी लम्बाई 380 मीटर होना बताया हैं जबकि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी नम्बर 370/176, 377/176, 176, 373/176 मे से रास्ते की लम्बाई 200 मीटर क्षेत्रफल 0.0600 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 177 बिलानाम में से 120 मीटर क्षेत्रफल 0.0360 हेक्टेयर अर्थात् कुल 320 मीटर लम्बाई का रास्ता बताया है जो विपक्षीगण द्वारा बताये गये रास्ते से नजदीक दूरी का हैं। तहसीलदार मावली द्वारा न्यूनतम दूरी का रास्ता आराजी नम्बर 370/176, 377/176, 176, 373/176 मे से 200 मीटर क्षेत्रफल 0.0600 हेक्टेयर व बिलानाम आराजी नम्बर 177 में से 120 मीटर क्षेत्रफल 0.0360 हेक्टेयर कुल 320 मीटर प्रस्तावित किया हैं जो प्रार्थी के खेत तक जाता हैं। विपक्षीगण की खातेदारी भूमि की डीएलसी दर 5,05,910/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रास्ते की राशि 30,355/– रूपये एवं बिलानाम आराजी नम्बर 177 की डीएलसी दर 4,33,664/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रास्ते की राशि 15,612/– रूपये होना बताया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थी को खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु जिस भूमि में से रास्ता दिया जा रहा है। वह वर्तमान में विपक्षीगण की खातेदारी एवं बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज हैं। चूंकि प्रार्थी के भूमि में आने जाने हेतु खातेदारी एवं बिलानाम भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र रा[illegible]–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.20[illegible] से [illegible] भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार [illegible] का प्रावधान किया गया हैं। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि [illegible] सशुल्क रास्ता दिया [illegible] उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible]51 (क) राजस्थान काश्त[illegible] अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:07:44 IST
Reason: SelfAttested

–: : <u>आदेश</u> : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा चमारियाखेडा पटवार हल्का कुंचोली की आराजी नम्बर 361/231, 364/361 किता 2 रकबा 11 बीघा एवं आराजी नम्बर 231 रकबा 4 बिस्वा भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आ.न. 370/176, 377/176, 176, 373/176 मे से 200 मीटर लम्बाई (क्षेत्रफल 0.0600 हेक्टेयर) एवं बिलानाम आराजी नम्बर 177 में से 120 मीटर लम्बाई (क्षेत्रफल 0.0360 हेक्टेयर) भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 320 मीटर लम्बाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प. 3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार बिलानाम आराजी नम्बर 177 की डीएलसी दर 4,33,664/– अक्षरे चार लाख तैतीस हजार छः सौ चौसठ रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 120 मीटर लम्बाई (क्षेत्रफल 0.0360 हेक्टेयर) की कुल कीमत 15,612/– का दुगुना 31,224/– अक्षरे इक्तीस हजार दौ सौ चौबीस रूपये राशि प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवाई जावें एवं विपक्षीगण के खातेदारी भूमि की डीएलसी दर 5,05,910/– अक्षरे पांच लाख पांच हजार नौ सौ दस रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 200 मीटर लम्बाई (क्षेत्रफल 0.0600 हेक्टेयर) की कुल कीमत 30,355/– का दुगुना 60,710/–अक्षरे साठ हजार सात सौ दस रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर खातेदार विपक्षीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि राजकोष व विपक्षीगण को भूगतान के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवाई जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:07:44 IST
Reason: SelfAttested